

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ-226 001, फोन : 0522-238846



सं. 5495/04

दिनांक: 14/12/04

सेवा में,

अध्यक्ष,

रामा हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर,
लखनपुर कानपुर।

विषय :-

रामा एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित रामा हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर,
लखनपुर, कानपुर में डिप्लोमा इन आष्टोमेट्री एवं डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी
प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने की सम्बद्धता / मान्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में मुझे सूचित करना है कि आपके प्रशिक्षण केन्द्र में डिप्लोमा इन आष्टोमेट्री में 30 छात्र एवं डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी प्रशिक्षण में 30 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु अनुमति / अनापत्ति अस्थाई रूप से प्रदान की गई है। उक्त सम्बद्धता / मान्यता एक सत्र / एक वर्ष के लिये ही मान्य है। इसके पश्चात् आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कर पुनः यह देखा जायेगा कि आपका प्रशिक्षण केन्द्र अगले सत्र / वर्ष हेतु भी निर्धारित मानक के अनुसार शर्त पूरी करता है अथवा नहीं। निर्धारित मानक के अनुसार शर्त पूरी होने पर ही पुनः अगले सत्र हेतु मान्यता / सम्बद्धता बढ़ायी जा सकेगी।

प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता एवं अन्य शर्तें :-

- 1- प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अथवा गणित) सहित उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2- अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- 3- चयन समिति में सचिव, उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी या उनके द्वारा नामित व्यक्ति भी चयन समिति का एक सदस्य होगा। चयन समिति में उपस्थिति हेतु समय से सूचना भेजना भी सुनिश्चित करें।
- 4- समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कराने से पूर्व विज्ञापन के आलेख (प्रारूप) का इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये।
- 5- प्रवेश सत्र प्रतिवर्ष जुलाई / अगस्त से प्रारम्भ किया जायेगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् फैकल्टी द्वारा करायी जायेगी। सिलेबस की प्रति संलग्न है।

(2)

- 6- डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री एवं डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी प्रशिक्षण में भर्ती हेतु चयन सूची प्रकाशित करने से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रतियों सहित चयन सूची का अनुमोदन फैकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
- 7- प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत अध्यापकों के नाम की सूची, शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक अध्यापक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित समस्त विवरण संलग्न प्रोफार्मा में भरकर प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश न किया जाये।
- 9- सम्बद्धता शुल्क ₹० 10,000/- प्रतिवर्ष प्रति कोर्स इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
- 10- प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष कराया जायेगा, निर्धारित मानक पूरे होने के पश्चात् ही मान्यता/सम्बद्धता आगे बढ़ाई जायेगी।
- 11- आपके प्रशिक्षण केन्द्र में स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा प्रशिक्षण बिना स्टेट मेडिकल फैकल्टी की पूर्वानुमति के नहीं चलाये जायेंगे, यदि आप द्वारा इस शर्त का किसी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो फैकल्टी द्वारा दो मान्यता/सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

(डा० राजेश जैन)
सचिव,

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी

पत्र संख्या :

दिनांक :

प्रतिलिपि सचिव, उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-7, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

।

(डा० राजेश जैन)
सचिव,
उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी